मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 46*

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत सभी के लिए आवास

***46. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः**
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाईयू) के तहत सभी के लिए आवास उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कोई आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और विशेषकर मुंबई सहित महाराष्ट्र के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण किए गए और लाभार्थियों को आवंटित किए गए आवासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की हिस्सेदारी से सम्बन्धित पद्धति क्या है;

(घ) वर्तमान में दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और मुंबई सहित महाराष्ट्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत दादरा और नगर हवेली के भूमिहीन लोगों को आवास प्रदान करने का प्रस्ताव है या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

''प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत सभी के लिए आवास'' के संबंध में दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 46* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क) से (ङ): जी, हाँ। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

भारत सरकार ''स्व-स्थाने'' स्लम पुनर्विकास के तहत 1.0 लाख रूपए, पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटक के लिए 1.5 लाख रूपए की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। विभिन्न राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी नीति के अनुसार अलग-अलग राज्य हिस्सेदारी का योगदान करते हैं। सीएलएसएस घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए प्रति आवास 2.67 लाख रूपए तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई थी। यह मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार परियोजना लागत के साथ डीपीआर के आधार पर परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से देशभर में 114.30 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 18.11.2024 तक 88.02 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है/लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। सीएलएसएस घटकों को छोड़कर इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और मुंबई सहित महाराष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों तथा स्वीकृत और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। मंत्रालय ने दादरा और नगर हवेली द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत प्रस्तुत सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और स्वीकृति के लिए कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य/जिला/यूएलबी स्तर पर मिशन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी

करने के लिए पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) के माध्यम से आंकड़ों का रख-रखाव करता है। माननीय संसद सदस्य लॉगिन के लिए अपने @sansad.nic.in ईमेल का उपयोग करके डैशबोर्ड पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की प्रगति देख सकते हैं और उसकी समीक्षा कर सकते हैं ।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीखते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटक अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। अब तक, 29 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। योजना दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/pmay-u-2.0-guidelines पर उपलब्ध हैं।

*****

दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 46* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और मुंबई सहित महाराष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/वितरित किए गए आवासों तथा स्वीकृत और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति				
			आवासों का निर्माण (संख्या)			केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	
			स्वीकृत	निर्माणाधीन*	पूर्ण/ वितरित*	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	16,33,562	14,93,496	7,33,712	17,569.87	14,484.03
2		बिहार	1,10,705	1,97,164	1,25,902	2,186.49	1,698.93
3		छत्तीसगढ़	1,63,144	1,61,304	2,00,707	3,208.14	2,943.46
4		गोवा	2,639	2,643	2,643	63.31	63.31
5		गुजरात	6,25,362	6,27,503	6,91,521	13,851.72	13,309.58
6		हरियाणा	34,325	56,701	55,469	1,034.98	807.29
7		हिमाचल प्रदेश	7,689	7,575	8,845	142.74	118.26
8		झारखंड	1,07,832	1,22,966	90,070	1,594.33	1,239.38
9		कर्नाटक	2,02,709	3,24,574	2,38,007	4,135.01	3,621.82
10		केरल	77,176	78,671	83,163	1,322.77	1,178.89
11		मध्य प्रदेश	4,22,968	5,11,724	5,71,566	9,479.68	9,009.56
12		महाराष्ट्र	7,87,148	8,10,309	7,12,001	14,861.40	13,855.06
13		ओडिशा	1,04,561	1,12,847	1,04,328	1,725.04	1,542.18
14		पंजाब	86,521	88,656	78,714	1,539.44	1,434.79
15		राजस्थान	2,38,895	2,33,517	1,65,799	3,926.65	3,767.61
16		तमिलनाडु	3,08,867	3,26,932	3,88,200	6,818.96	6,518.43
17		तेलंगाना	93,068	85,583	1,65,274	2,134.01	2,032.39
18		उत्तर प्रदेश	9,44,989	12,35,745	13,30,703	20,251.69	19,812.27
19		उत्तराखंड	42,052	47,341	28,645	670.28	617.76
20		पश्चिम बंगाल	3,61,066	4,19,408	2,95,669	5,242.85	4,867.12
उप-कुल (राज्य)			**63,55,278**	**69,44,659**	**60,70,938**	**1,11,759.36**	**1,02,922.12**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	3,292	2,893	6,738	72.62	53.81
22		असम	1,26,253	1,24,136	97,975	1,749.99	1,684.99
23		मणिपुर	17,539	29,367	12,483	324.94	296.56
24		मेघालय	2,525	3,245	1,463	39.96	25.55
25		मिजोरम	11,109	33,225	16,386	336.78	323.78
26		नागालैंड	9,966	15,518	24,849	241.53	198.74
27		सिक्किम	178	193	178	3.98	3.98
28		त्रिपुरा	31,378	37,964	38,798	663.87	538.56
उप-कुल (उत्तर-पूर्वी राज्य)			**2,02,240**	**2,46,541**	**1,98,870**	**3,433.67**	**3,125.97**

29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	350	350	27	2.66	2.49
30		चंडीगढ़	1,038	1,038	1,038	24.09	24.09
31		दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,772	6,142	7,421	147.14	141.23
32		दिल्ली	17,067	17,067	17,067	401.79	401.79
33		जम्मू और कश्मीर	26,748	27,627	23,497	394.97	338.00
34		लद्दाख	281	392	584	7.12	6.78
35		लक्षद्वीप	-	-	0	-	-
36		पुदुचेरी	7,850	10,096	8,387	160.40	106.51
उप-कुल (यू.टी.)			**59,106**	**62,712**	**58,021**	**1,138.17**	**1,020.89**
कुल योग			**66,16,624**	**72,53,912**	**63,27,829**	**1,16,331.20**	**1,07,068.98**

*** इसमें उस वर्ष के निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवास शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किए गए थे।**